प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने देशनोक में 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया

उन्होंने बीकानेर वासियों को बीकानेर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी

- **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशनोक रेलवे परिसर में शहीदों के सम्मान में लगी प्रदर्शनी गैलरी का भी अवलोकन किया।**

देशनोक, 22 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी दी।

उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से भी मिले और बच्चों द्वारा बनाई पेंटिंग्स की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने भारत माता के जयघोष से परिसर को गुंजायमान कर दिया। प्रधानमंत्री ने स्टेशन परिसर में शहीदों के सम्मान में प्रदर्शनी गैलेरी का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल समेत, विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन व स्कूली बच्चे मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1300 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के आठ रेलवे स्टेशन देशनोक, गोगामेड़ी, बूंदी, माण्डलगढ़ , गोविंदगढ़ , मण्डावर-महुआ रोड, फतेहपुर शेखावाटी और राजगढ़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक में करणी माता के दर्शन किए व आरती उतारी तथा मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा-अर्चना की। श्रीकरणी मंदिर निजी प्रन्यास के अध्यक्ष बादल सिंह देपावत ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह व मां करणी का साहित्य भेंट किया।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रखी जा रही है नये भारत की नींव-भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है

- **रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल में 34 हजार किलोमीटर लम्बी रेल पटरियाँ बनीं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से बड़ा है।**

बीकानेर, 22 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के संकल्प ने एक नए भारत की नींव रखी है।

शर्मा, जिले के पलाना में आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य से गौरवान्वित हो उठा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम-2 के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे सीमावर्ती गांवों के लोगों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं आजीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते की सौगात के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का विशेष आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि देश में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला- केवल चार जातियां हैं। इसी मंशा के अनुरूप, राज्य सरकार इन चारों जातियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

सभा को सम्बोधित करते हुए, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस दौरान 34 हजार किलोमीटर लंबी रेल पटरियां बनी हैं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से भी अधिक है। 47 हजार किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में छोटे और मध्यम दर्जे के रेलवे स्टेशनों के विकास पर ध्यान दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले देश में एक साथ 1062 रेलवे स्टेशनों के विकास की नींव रखी थी। आज इनमें से 103 स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 100 स्टेशन भी 8 माह में बनकर तैयार हो जाएंगे।

पाकिस्तान ने एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा

इस्लामाबाद, 22 मई। भारत के दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिये जाने के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने गुरुवार को जवाबी कदम उठाते हुये, यहां स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित कर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को विशेषाधिकार से विपरीत गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश मंत्रालय में बुलाकर उसे सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया है। इस राजनयिक को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय उच्चायोग का कोई भी अधिकारी उसे प्राप्त विशेषाधिकार का किसी भी तरह दुरुपयोग नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि बुधवार को भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित करते हुये, उसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ देने को कहा था।

नाबालिग से दुष्कर्म करने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह मजदूरी करने गया था। तभी करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने उसे घर बुलाया और बताया कि पड़ौसी विजय ने उसकी नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिये हैं। परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने बताया कि एक महीने पहले जब घर पर कोई नहीं था तो विजय ने उसे अपने कमरे पर किसी काम के बहाने से बुलाया था। इस दौरान ही उसने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। वह फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर और संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इस पर उसने 19 जून को इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी पड़ौस में रहने वाले अन्य लड़के ने दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

सतपाल मलिक के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस प्रोजेक्ट से संबंधित थी।

एजेंसी द्वारा गत वर्ष तलाशी अभियान चलाये जाने के बाद, मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था।

मलिक ने कहा था कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने (मलिक) शिकायत की थी तथा जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उनकी जांच-पड़ताल किये जाने के बजाय, सी बी आई ने उनके आवास पर रेड डाली है। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया था, "उन्हें (सी बी आई को) 4-5 कुर्ता-पाजामा के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं न तो डरूंगा और न झुकूंगा।" केन्द्रीय एजेंसी ने 'चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सी वी पी पी पी एल) के तत्कालीन चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी, तथा अन्य अधिकारियों, जिनमें एम एस बाबू, एम के मित्तल तथा अरुण कुमार मिश्रा शामिल हैं, के अलावा निर्माण-फर्म पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को आरोपी बनाया है।

एफ आई आर में आरोप लगाया गया है, "उस समय चल रही टेन्डरिंग प्रक्रिया के रद्द हो जाने के बाद, सी वी पी पी पी एल की 47 वीं बोर्ड मीटिंग में ई-टेन्डरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिये फिर से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन (48 वीं बोर्ड मीटिंग में लिए गये निर्णय के अनुसार) उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया था तथा अन्ततोगत्वा, टेन्डर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया था।"

वन रक्षक पेपर लीक में तीन और गिरफ्तार

जयपुर, 22 मई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वनरक्षक पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, वनरक्षक उमाराम, प्यारी व दलाल रगेश कुमार को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम पूछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने बताया कि 12 मार्च 2025 को कंवरा राम जाट को गिरफ्तार किया गया था। जिससे पूछताछ में सामने आया कि उसने वनरक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को 13 नवंबर 2022 का वन रक्षक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पूर्व उदयपुर में पढ़ाया था। पेपर पढ़ने वाले वन रक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी उमाराम ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पढ़ने की एवज में वांछित आरोपी जबराराम जाट को 1 लाख रूपये व प्यारी कुमारी के भाई वांछित आरोपी हीराराम ने अपनी बहिन के पेपर पढ़ने की एवज में वांछित आरोपी जबराराम जाट को 3 लाख रूपये दिये। इसके अतिरिक्त, पूर्व में गिरफ्तार वनरक्षक टिगो के दलाल रगेश कुमार को वनरक्षक का पेपर पढ़ने की एवज में उसके भाई महेन्द्र से 8 लाख रूपये प्राप्त कर, अपने मित्र कंवरा राम चौधरी स्टेशन मास्टर के मार्फत, एन डी सारण को 7 लाख रूपये दिये थे, उसे भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने पूछताछ के लिए 26 मई तक रिमांड दिया है।

- **अति. पुलिस महानिदेशक वी.के. सिंह ने बताया कि वन रक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाया तथा दलाल रमेश कुमार ने पेपर पढ़ने की एवज में आठ लाख रुपये प्राप्त किये।**

सात प्रतिनिधिमंडल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसी दौरान, नई दिल्ली में राजनीतिक विश्लेषक अन्य राज्यों में बदलते समीकरणों को लेकर कयास लगा रहे हैं। बिहार, जहाँ वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, में तुरंत कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं दिखता, लेकिन स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और इंडिया ब्लॉक दोनों के पक्ष और विपक्ष में नए राजनीतिक समीकरण उभर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय सत्ता संतुलन पर असर पड़ सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि यह वैश्विक कूटनीतिक पहल ऐसे समय में हो रही है, जब मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को सुदृढ़ करने में जुटी है। आलोचकों का कहना है कि यह पहल, भले ही महत्वपूर्ण हो, घरेलू राजनीतिक हितों को भी साधने का प्रयास हो सकती है, खासकर यह भाजपा को एकमात्र ऐसी पार्टी के रूप में पेश कर सकती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एकजुट राष्ट्रीय मोर्चा बिना सकती है।

भीतरी विवादों और राजनीतिक उठापटक के बावजूद, यह वैश्विक मिशन रणनीतिक सहयोगियों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों के द्वारा बारीकी से देखा जा रहा है। यह मिशन पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद में संलिप्तता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रमाणित करने में कितना सफल होगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इसने भारत की राजनीतिक दिशा को अगले कुछ महीनों के लिए प्रभावित करना शुरू कर दिया है।

गलत जानकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसका नाम नहीं है और न ही मामले में उसकी सीधी भूमिका सामने आई है। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर अपनी महिला मित्र के लिए पेपर खरीद कर उपलब्ध कराने का आरोप प्रमाणित है। वह पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा है। ऐसे में उस पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के स्थाई वारंट जारी कर रखे हैं। इसके अलावा, उसने सरकारी वकील या अदालत में अपने सरेंडर को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, जिससे साबित होजा है कि वह सरेंडर के लिए अदालत में गया ही नहीं। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए, अदालत ने याचिका खारिज कर उस पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा व्यंग्य

नयी दिल्ली, 22 मई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'दिमाग ठंडा' तथा 'खून गरम' वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मोदी को खोखले भाषण देना बंद कर यह बताना चाहिए कि देश के हितों से समझौता क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इधर-उधर की बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि यह बताएं कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने बयानों से बार-बार भारत को जब अपमानित कर रहे हैं, तो करारा जवाब देने की बजाय, राष्ट्रीय सम्मान से समझौता क्यों किया जा रहा है।

- **राहुल गाँधी ने कहा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। आपका खून कैमरों के सामने ही क्यों गरम होता है।**

वक्फ एक्ट पर अंतरिम स्टे देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित किया

जैसा कि विदित ही है, तीन दिन सुप्रीम कोर्ट में घमासान बहस चली इस "स्टे" की माँग पर

- **कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजेफा अहमदी, चंदर उदय सिंह आदि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने इस बहस में भाग लिया है।**
- **रिट दायर करने वाले की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि ने दलील दी कि वक्फ एक्ट में संशोधन करने से मुसलमानों के साथ "डिस्क्रिमिनेशन" होगा।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ विवादास्पद धाराओं के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, चुनौती उन प्रावधानों को लेकर दी गई है, जिनमें "उपयोग द्वारा वक्फ (वक्फ बाई यूजर) समाप्ति, केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने, और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के "विवादित" वक्फ संपत्तियों को छीनने जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ माना जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 20 मई से शुरु हुई तीन दिवसीय लंबी बहसों के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजेफा अहमदी, चंदर उदय सिंह और अन्य ने बहस में हिस्सा लिया। उनका तर्क था कि संशोधित कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, उनके मूलभूत धार्मिक कार्यों और परम्पराओं को निशाना बनाता है, और विधिसम्मत प्रक्रिया के बिना ही, वक्फ संपत्तियों को मनमाने तरीकों से जब्त करने की अनुमति देता है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि "उपयोग द्वारा वक्फ" (वक्फ बाई यूजर) की अवधारणा को समाप्त करने से वे ऐतिहासिक मस्जिदें, कब्रिस्तान और धार्मिक सम्पत्तियाँ प्रभावित होंगी, जिनके औपचारिक दस्तावेज़ नहीं हैं, लेकिन जो सदियों से धार्मिक रूप से उपयोग में हैं और अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने वक्फ परिषदों में गैर-मुस्लिमों की मौजूदगी का विरोध किया। उनका कहना था कि इस तरह की नियुक्तियाँ मुस्लिम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हैं और यह अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक पंथों को अपनी संस्थाओं के संचालन में स्वायत्तता प्रदान करते हैं।

नीट पीजी सीट ब्लॉक करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

- **सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि काउन्सलिंग से पहले सभी मैडिकल कॉलेजों को फीस बतानी होगी।**

नईदिल्ली, 21 मई। नीट पीजी में सीट ब्लॉकिंग की बढ़ती शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। अब देश की सभी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटियों को काउंसलिंग शुरू होने से पहले अपनी पूरी फीस संरचना (ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अन्य शुल्क) सार्वजनिक करनी होगी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग की यह प्रथा केवल एक अनैतिक कार्य ही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है। इसमें पारदर्शिता की कमी, शासन में समन्वय की कमी और नीतियों के ढीले पालन जैसी समस्याएं शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें - सभी यूनिवर्सिटियों को काउंसलिंग से पहले फीस का खुलासा करना अनिवार्य होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत, एक केन्द्रीकृत फीस रेगुलेशन सिस्टम विकसित किया जाएगा।

सीट ब्लॉक करने वाले छात्रों और कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी- जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट की जब्ती, भविष्य की नीट पीजी परीक्षाओं से अयोग्यता, और कॉलेज का ब्लैकलिस्ट होना।

ऑल इंडिया कोटा और राज्य स्तरीय काउंसलिंग को समान कैलेंडर के तहत लाने का निर्देश ताकि, सीट ब्लॉकिंग को रोका जा सके। काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद छात्रों को बेहतर सीट पर अपग्रेड का विकल्प मिलेगा, लेकिन नए छात्रों के लिए काउंसलिंग नहीं खोली जाएगी। रॉ स्कोर, उत्तर कुंजी और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को सार्वजनिक करने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे।

यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार और डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लखनऊ की ओर से दाखिल याचिका पर आया है। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें दो छात्रों को मुआवजा देने और सीट ब्लॉकिंग के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए थे।

एटा में भारी आंधी तूफान, 5 की मौत

एटा, 22 मई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और वर्षा जनित हादसों में कम से कम पांच लोगों की मृत्यु हो गयी।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एटा के जलेसर तहसील छेत्र में एक बायो डीजल की फैक्ट्री की टीनशेड गिरने से उसके नीचे दबकर फैक्ट्री मालिक विवेक प्रताप सिंह (37) एवं उसके कर्मचारी पुष्पेंद्र ऊर्फ पप्पू (43) की मौत हो गयी। एटा की अलीगंज तहसील क्षेत्र के जैथरा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में टीन शेड गिरने से उसके नीचे दबकर 19 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार सिंह की मौत हो गयी।

एक बार फिर विदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे माहौल में अगर भारत अमेरिका के दावे को सीधे खारिज करता है, तो डॉनल्ड ट्रंप का उग्र प्रशासन इसे हल्के में नहीं लेगा। जयशंकर बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भारत-पाक संघर्ष केवल तब रुका, जब पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रभारी जनरल ने भारतीय समकक्ष को सीधे कॉल किया।

इस प्रकार, भारत को अमेरिकी नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता और हथियार देना शुरू कर दे, भारत की स्वतंत्र नीति को सजा देने के लिए।

अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी नाराज़गी किस हद तक ले जाता है। लेकिन यह लगभग तय है कि प्रतिक्रिया अवश्य आएगी। ऐसे में भारत को हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालांकि, भारत जैसे विशाल और महत्त्वपूर्ण देश को अपनी मूल नीतियों और राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटना चाहिए-चाहे धमकी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से ही क्यों न मिल रही हो।

अब हर आतंकी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थी। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां राजस्थान के बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। राजस्थान की वीरभूमि के तप से ही ऐसा संयोग बना है। सभा को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कहा कि मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो मां करणी के मंदिर में दर्शन करने आए हैं।

कार्यक्रम की शुरूआत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह स्वरूप चरखा भेंट कर स्वागत किया। स्वयं सहायता समूह की सदस्या सुमित्रा, अर्जुन अवार्डी मगन सिंह राजवी एवं कर्नल हेमसिंह ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित, राज्य के कई मंत्रीगण सांसद एवं विधायकगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

'ईडी सारी हदें पार कर रहा है'

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर ईडी की रेड पर रोक लगाते हुए टिप्पणी की

- **तमिलनाडु हाईकोर्ट ने ईडी को एक हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले में राज्य विपणन निगम के खिलाफ मनी लॉण्डरिंग जांच की अनुमति दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।**

नयी दिल्ली, 22 मई। उच्चतम न्यायालय ने शराब दुकानों के लाइसेंस जारी करने से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के खिलाफ धन शोधन जांच पर रोक लगाते हुए, गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संविधान का उल्लंघन करके सारी सीमाएं लांघ रहा है।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कथित 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले में ईडी जांच की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

पीठ ने केन्द्रीय एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा, आपका ईडी सारी हदें पार कर रहा है। आपका कार्यालय किसी निगम पर छापेमारी कैसे कर सकता है? आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं।

शीर्ष न्यायालय ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद करेगा।

तमिलनाडु सरकार ने ईडी ओर से सरकारी शराब खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के परिसरों में जांच के दौरान की गई छापेमारी की वैधता को चुनौती दी थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2025 को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी थी। उच्च न्यायालय ने ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी।

विवाह के तीन माह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिता की तरह, आगामी जीवन में उसका संरक्षण करेगा।

विवाह के बाद प्रारंभिक वर्ष में दंपत्ति इन सुखद सपनों के साथ भविष्य की नींव तैयार करते हैं, लेकिन इस मामले में अभियुक्त का कृत्य अपनी पत्नी के प्रति ऐसा रहा कि उसके पास विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। ऐसे में अभियुक्त को कठोरतम दंड से दंडित करना उचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि अभियुक्त विकास की 12 जून, 2017 को किरण के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही अभियुक्त ने मोटर साइकिल, सोने की चैन और दो लाख रुपए की मांग कर किरण के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं, किरण के भाई मुकेश कुमार ने भी अपने बयानों में अदालत को जानकारी दी कि किरण के आत्महत्या करने से करीब बीस दिन पहले उसकी किरण के साथ फोन पर बात हुई थी। इस दौरान किरण ने उसे बताया था कि उसका पति और ससुराल के अन्य लोग दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते हैं।

इसके चलते 22 सितंबर को किरण ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना को लेकर किरण के परिजनों ने 25 सितंबर को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600